न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 45/2024

1. जसविन्द्र कौर पुत्री बलदेव सिह पत्नी राजेन्द्र सिह आयु करीब 40 वर्ष निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. जशनदीप कौर पुत्री बलदेव सिह पत्नी जसविन्द्र सिंह आयु 34 वर्ष निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. बलदेव सिह पुत्र श्री हरनाम सिंह आयु 75 वर्ष निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रेवन्यू श्रीगंगानगर
3. सर्वजीत कौर पुत्री बलदेव सिंह पत्नी महेन्द्र सिह निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. हरदीप कौर पुत्री बलदेव सिह पत्नी कुमार गौरव सिंह निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. दर्शन कौर पत्नी बलदेव सिंह आयु 70 वर्ष निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. सिमरनजीत कौर पत्नी स्व बलजीत सिंह निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
7. निशा पुत्री स्व. बलजीत सिंह आयु 19 वर्ष निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
8. हरमन कौर (नावालिग) पुत्री स्व. बलजीत सिंह जरिये कुदरती बली दादी दर्शन कौर निवासी गांव मंटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
9. गुरतुर सिह (नावालिग) पुत्र स्व. श्री बलजीत सिंह जरिये कुदरती बली दादी दर्शन कौर निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री भगत सिंह जाखड अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री अरविन्द जाखड — अप्रार्थी संख्या–1, 3 ता 5
3. श्री ब्रहमद उपाध्याय अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 6 ता 9
4. पैरोकार — अप्रार्थी – 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 28.11.2024

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता श्री बलदेव सिंह के नाम पैतृक कृषि भूमि चक 3 एल बडा तहसील व जिला श्री गंगानगर के मु0 न. 29 में 1.113 है0 नहरी कृषि भूमि तथा मु० न. 20 में 1.518 नहरी कृषि भूमि तथा इसी मु0 न. 20 में 35 बिस्वा नहरी कृषि भूमि है जिसमें से मेरे पिता जी श्री बलदेव सिंह ने काश्त की सुविधा के हिसाब से आज से करीब 5 वर्ष पूर्व परिवार वालों को घरेलू बटवारा करके दी है इस उपरोक्त कृषि भूमि में से मेरे पिता जी ने अपनी धर्मपत्नि यानि हमारी माता दर्शन कौर को चक 3 एल बडा के मु० न० 20 में 802/6325 हिस्सा गिफट कर दी जो उसके नाम जमाबन्दी में दर्ज हो चुकी है और इसी तरह से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सर्वजीत कौर व हरजीत कौर के नाम से दिनांक 02.03.2023 को चक 3 एल बडा के मु० न. 29 की 1.113 है0 गिफट कर दी जो अब उनके कब्जे में है अब इस तरह से प्रतिवादी न. 01 श्री बलदेव सिंह के नाम से कुल भूमि में से चक 3 एल बडा के मु० न. 20 में 6/25 हिस्सा जमाबन्दी अनुसार 1.518 है0 भूमि बची है जिसके हम 3 व्यक्ति यानि वादिया संख्या 01 व 02 तथा हमारा मृतक भाई बलजीत सिंह के वारिसान का हिस्सा है और यह भूमि वर्तमान में जमाबन्दी के अनुसार अप्रार्थी न. 01 बलदेव सिह के नाम से खातेदारी दर्ज है जो करीब 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है जिसे इस भूमि को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे बच्चे कामयाब हो चुके है फिर भी वह अपनी पुत्रवुध सिमरनजीत के बहकावे में आकर भूमि बेचने का खुर्द बुर्द करने की फिराक में है जबकि सिमरनजीत कौर ने दूसरी शादी कर ली है अगर श्री बलदेव सिंह द्वारा भूमि बेचने की सूरत में हम प्रार्थीगण को नापूरा होने वाला नुकसान पंहुच रहा है। भूमि हमारे पिता जी श्री बलदेव सिंह के नाम खातेदारी है जिन्होंने अधिकाशं भूमि अपने परिवारजनों को दे रखी है। हमारी जमीन में हमारा हक बनता है इस कारण स्थगन आदेश हासिल करने हेतु हम प्रार्थीयान के पक्ष में प्रथम दृष्टि के सबल केस बनता है और सुविधा का सन्तुलन भी हम प्रार्थियान के पक्ष में है। अतः शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि इस आशय का स्थगन आदेश फरमाया जावे कि अप्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र हरनाम सिंह अपने नाम की जमाबन्दी चक 3 एल बडा सम्वत 2076 पटवार हल्का मटीलीराठान बी के मु० न. 20 की 6/25 हिस्सा को आग रहन बय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित ना करे तथा इस 6/25 हिस्सा का ईतंकाल तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर किसी अन्य व्यक्ति के नाम ना करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सिमरजीत कौर की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार मद संख्या 01 जिस तरह से अंकित की गई है स्वीकार नही है । वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि बलदेव सिंह के नाम से चक 3 एल बड़ा, पटवार हल्का मटीलीराठान के मुरब्बा नम्बर 29 में 1.113 हैक्टेयर तथा मुरब्बा नम्बर 20 में 802/6325 हिस्सा व मुरब्बा नम्बर 20 में 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के पिता हरनाम सिंह से व स्वयं अर्जित सम्पति है। जिसका अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जीवनकाल में अपनी व परिवार की रजामंदी से व्यवस्था जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर दी है जो की इस प्रकार है:– मुरब्बा नम्बर 29 में 1.113 हैक्टेयर कृषि भूमि अपनी पुत्री सरबजीत कौर व हरदीप कौर के नाम से व मुरब्बा नम्बर 20 की 802/6325 कृषि भूमि अपनी पत्नी दर्शन कौर के नाम से व मुरब्बा नम्बर 20 के 1.518 कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 05 के पुत्र करनदीप सिंह के नाम से जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दान कर दी गई है। करनदीप सिंह के नाम से की गई रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के आधार पर नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र करनदीप सिंह के नाम से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

नामान्तरण प्रक्रिया को रोकने के लिए व चूंकि करनदीप सिंह की मृत्यु अविवाहित होने से उसके नाम से आने वाली समस्त चल व अचल सम्पति की उत्तराधिकारी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम वर्ग की श्रेणी में माता ही उत्तराधिकारी होती है। प्रार्थीगण के मन में लालच व उक्त कृषि भूमि को अपने नाम से करवाने की मंशा होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष बिना किसी अधिकारिता के प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का यह कहना कि अप्रार्थी संख्या 05 अप्रार्थी संख्या 01 पर दबाव डालकर चक 3 एल बड़ा, पटवार हल्का मटीलीराठान के मुरब्बा नम्बर 20 में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से 6/25 हिस्सा को बेचने व खुर्द बुर्द करने के फिराक में है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जीवनकाल में परिवार जनों की सहमति से दिनांक 31.07.2023 जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट दान कर दी गई जिसकी नामान्तरण प्रक्रियाधीन होने की वजह से अन्यत्र बेचान करने या खुर्द बुर्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अगर उक्त नामान्तरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है तो अप्रार्थी संख्या 05 को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 जिस तरह से अंकित की गई है स्वीकार नही है। उक्त सम्पति अप्रार्थी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पति होने के कारण व अप्रार्थी संख्या 01 के जीवनकाल में उक्त सम्पति का बटवारा करवा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिता अप्रार्थीगण को नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त सम्पति की व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार से उक्त सम्पति सहदायिक सम्पति की श्रेणी में नही आती है, जिसमें कि प्रार्थीगण को जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो। अतः जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में विधिक बल ना होनें के कारण खारिज किये जाने योग्य होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार मुझ अप्रार्थी सं0–1 बलदेवसिहं के पास चक 3 एल बडा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं0–29 में 1.113 हैक्ट नहरी कृषि भूमिं तथा मुरब्बा नं0–20 मे 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमिं तथा इसी मुरब्बा नं0–20 मे तीन बीघा पांच बिस्वा नहरी कृषि भूमिं है परिस्थितियों के हिसाब से मुझ बलदेवसिहं ने अपनी पत्नि को 3 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमिं गिफट कर दी तथा अपनी पुत्रियों सर्वजीतकौर व हरमीतकौर के नाम से चक 3 एल बडा के मुरब्बा नं0–29 मे 1.113 हैक्टर गिफट कर दी और शेष कृषि भूमिं मुरब्बा नं0–20 में 1.518 हैक्टर भूमिं में से दो बीघा भूमि जसविन्द्रकौर (वादिया) और दो बीघा जशनदीपकौर (वादिया) को देनी है क्योंकि प्रतिवादिया नं0–5 सिमरनजीतकौर व उसका पति स्व० बलजीतसिहं जो मेरी पुत्र वधु है ये दोनो बहुत चालाक और होशियार व्यक्ति रहे हैं इन्होने कभी भी मेरी व मेरी पत्नि की सेवा नहीं की बल्कि ये दोनो हमें तंग परेशान ' करते रहे हैं इसलिये मैने नियमानुसार दिनांक– 08 मई 2015 को अपने पुत्र बलजीतसिहं व पुत्र वधु सिमरनजीतकौर को उनका पूरा हक देकर मेरी सम्पति से बेदखल कर दिया था और अब वे मेरी सम्पति में से कोई भी चीज क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको पूरा हक दिया हुआ है । मगर बीच में मैं बहुत बिमार हो गया था और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी मेरी उस अवस्था में मेरी पुत्रवधु ने मौका का फायदा उठाकर कोई गिफ्ट डीड लिखवा ली जिससे मेरी पुत्र वधु ने दोनो वादिगण का हिस्सा हडपने का प्रयास किया है उक्त कृषि मेरी स्वंय अर्जित सम्पति इसलिये मैं इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता हूं यह सम्पति मेरी पैतृक सम्पति नहीं है, जबकि मैं अपने सभी वारिसों को बराबर बराबर समझता हूं और किसी नि.अः साथ कोई भेदभाव नहीं करता ऐसी सूरत में सिमरनजीतकौर के द्वारा मेरी बिमारी पर मौका का फायदा उठाते हुए जो गिफ्ट डीड लिखवाई है वह पूर्ण रूप से मेरी इच्छा के विरूद्ध लिखवाई गयी है और उसकी गिफ्ट डीड के आधार पर जब मेरा पोता भी गुजर गया तो यह पूरी जमीन 1.518 हैक्टर अपने नाम करवाकर आगे बेचने की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

फिराक में है, जिससे पूरे परिवार को नुकसान पहुंच रहा है और बंटवारा के दावा का मक्सद समाप्त हो जावेगा और परिवार में मुकदमें बाजी बढेगी ऐसी सूरत में जब जाहिरा तौर पर सिमरनजीतकौर का व्यवहार परिवार के प्रति उचित व नेकनियत नहीं तो ऐसी सूरत में वादीगण/प्रार्थीगण जसविन्द्रकौर व जशनदीपकौर द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है ताकि प्रत्येक को अपना हक मिल सके और परिवार मुकदमेबाजी में न उलझे । अखबार हांसल समाचार की फोटो कापी पेश है। प्रार्थना पत्र की मद सं0–2 दुरूस्त है जो विधि अनुसार लिखी गयी है क्योंकि स्थगन आदेश जारी करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि परिवार मुकदमें बाजी से बचेगा और दोनो प्रार्थीयान के हिस्सा की भूमिं इनको मिल सकेगी। अतः जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार श्री बलदेवसिहं जिनकी आयु करीब 75 वर्ष हो चुकी है और जो काफी वृद्ध व्यक्ति है जिनको सुनाई भी कम देता है ऐसी सूरत में श्री बलदेवसिहं को बहला फुसला कर श्रीमति सिमरनजीतकौर उनके नाम की कृषि भूमि हडपने की फिराक में है इसलिये परिवार के सदस्यों ने उनके नाम की कृषि भूमिं वाके चक 3 एल बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं0–29 में 1.113 हैक्टर तथा मुरब्बा नं0–20 के 1.518 हैक्टर कृषि भूमिं तथा इसी मुरब्बा में 802/6325 हिस्सा कृषि भूमिं जिसका पूरा विवरण जमाबन्दी में है इस भूमिं के विधिवत्त खाता तकसीम करवाने का दावा माननीय न्यायालय में पेश किया है जिसके अनुसार अप्रार्थी सं0– 2 व 3 कमशः 2–2 बीघा कृषि भूमिं प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा अप्रार्थी सं0–4 दर्शन कौर जो बलदेवसिहं की धर्मपत्नि है उसे बलदेवसिहं ने अपने जीवन यापन के लिये 03.05 बिस्वा भूमिं दे रखी है। जो कृषि भूमिं चक 3 एल बडा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं0–20 में 1.518 है० कृषि भूमिं है इसकी गिफ्ट डीड अप्रार्थीया सं0–6 सिमरनजीतकौर ने चुपचाप व बलदेवसिहं की वृद्ध आयु व बिमारी की अवस्था में सेवा चाकरी करने के नाम पर बलदेवसिहं को चकमा देकर अपने पुत्र करनदीपसिहं के पक्ष में दिनांक 31–07–23 को गिफट करवाई है और इस गिफट के आधार पर सिमरनजीत कौर यह भूमि 1.518 हैक्टर हड़पने की फिराक में है क्योंकि गिफट दिनांक– 31–07–2023 अपने आप में पूर्ण नहीं है क्योंकि इस गिफट में करनदीपसिहं नाबालिग है जिसकी स्वीकृति नहीं मानी जा सकती और भूमिं का कब्जा आज भी बलदेवसिंह के पास है और इन्तकाल भी बलदेवसिहं के नाम से है तथा बलदेवसिहं ने अखबार मे नोटिस देकर अप्रार्थी सं0–6 सिमरनजीतकौर व उसके पति बलजीतसिहं को बेदखल किया हुआ है, ऐसी सूरत में प्रार्थीयान जसविन्द्रकौर वगैरा का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में हमारी सहमति है । अतः जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त कथनानुसार प्रार्थीयान जसविन्द्रकौर व जशनदीपकौर का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में हम अप्रार्थी सं0–3–4–5 की सहमति है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। **वकील प्रार्थीगण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकील प्रार्थीगण की मुख्य बहस यह रही कि** अप्रार्थी संख्या 1 बलेदव सिंह अपनी पुत्रवुध सिमरनजीत के बहकावे में आकर भूमि बेचने का खुर्द बुर्द करने की फिराक में है जबकि सिमरनजीत कौर ने दूसरी शादी कर ली है अगर बलदेव सिंह द्वारा भूमि बेचने की सूरत में हम प्रार्थीगण को नापूरा होने वाला नुकसान पंहुच रहा है। बलदेव सिंह के नाम खातेदारी है जिन्होंने अधिकाशं भूमि अपने परिवारजनों को दे रखी है। हमारी जमीन में हमारा हक बनता है इस कारण स्थगन आदेश हासिल करने हेतु प्रार्थीयान के पक्ष में प्रथम दृष्टि के सबल केस बनता है और सुविधा का सन्तुलन भी हम प्रार्थिगण के पक्ष में है। इस लिए स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– 1997 DNJ (SC) 40, 1995 DNJ (Raj) 286, RRD 2002 Pg 744 पेश किये गये।

वकील अप्रार्थी 1, 3, 4, 5 की मुख्य बहस यह रही कि अप्रार्थी संख्या 1 बहुत बिमार हो गया था और अप्रार्थी सं.1 के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उस अवस्था में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रवधु ने मौका का फायदा उठाकर कोई गिफट डीड लिखवा ली जिससे सिमरनजीत कौर पत्नी स्व. श्री बलजीत सिंह ने दोनो प्रार्थीगण का हिस्सा हडपने का प्रयास किया है उक्त कृषि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वंय अर्जित सम्पति इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। यह सम्पति अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक सम्पति नहीं है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 अपने सभी वारिसों को बराबर बराबर समझता है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता ऐसी सूरत में सिमरनजीतकौर के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की बिमारी पर मौका का फायदा उठाते हुए जो गिफट डीड लिखवाई है वह पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 1 की इच्छा के विरूद्ध लिखवाई गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 बलदेवसिहं ने अपनी पत्नि को 3 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमिं गिफट कर दी तथा अपनी पुत्रियों सर्वजीतकौर व हरमीतकौर के नाम से चक 3 एल बडा के मुरब्बा नं0–29 मे 1.113 हैक्टर गिफट कर दी और शेष कृषि भूमिं मुरब्बा नं0–20 में 1.518 हैक्टर भूमिं में से दो बीघा भूमि जसविन्द्रकौर (वादिया) और दो बीघा जशनदीपकौर (वादिया) को देनी है क्योंकि प्रतिवादिया नं0–5 सिमरनजीतकौर व उसका पति स्व० बलजीतसिहं जो मेरी पुत्र वधु है ये दोनो बहुत चालाक और होशियार व्यक्ति रहे हैं इन्होने कभी भी मेरी व मेरी पत्नि की सेवा नहीं की बल्कि ये दोनो हमें तंग परेशान करते रहे हैं इसलिये मैने नियमानुसार दिनांक– 08 मई 2015 को अपने पुत्र बलजीतसिहं व पुत्र वधु सिमरनजीतकौर को उनका पूरा हक देकर मेरी सम्पति से बेदखल कर दिया था और अब वे मेरी सम्पति में से कोई भी चीज क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको पूरा हक दिया हुआ है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5 को कोई ऐतराज नहीं है। **वकील अप्रार्थी (सिमरनजीत कौर)संख्या 6 की मुख्य बहस यह रही कि** अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त सम्पति की व्यवस्था कर दी गई है। अगर उक्त नामान्तरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है तो अप्रार्थी संख्या 05 को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जीवनकाल में अपनी व परिवार की रजामंदी से व्यवस्था जरिये रजिस्टर्ड गिफट डीड कर दी है जो की इस प्रकार हैः– मुरब्बा नम्बर 29 में 1.113 हैक्टेयर कृषि भूमि अपनी पुत्री सरबजीत कौर व हरदीप कौर के नाम से व मुरब्बा नम्बर 20 की 802/6325 कृषि भूमि अपनी पत्नी दर्शन कौर के नाम से व मुरब्बा नम्बर 20 के 1.518 कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 05 के पुत्र करनदीप सिंह के नाम से जरिये रजिस्टर्ड गिफट डीड दान कर दी गई है। करनदीप सिंह के नाम से की गई रजिस्टर्ड गिफट डीड के आधार पर नामान्तरण प्रक्रियाधीन है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– **IN THE SUPREME COURT FO INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO 6333 OF 2013 JUDGMENT OCTOBER 24, 2024 पेश किया गया।**

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य पंजीकृत दस्तावेज उपहर पत्र दिनांक 31.07.2023 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने मृतक पुत्र बलजीत सिंह के पुत्र करनदीप सिंह पुत्र बलजीत सिंह के हक में जरिए पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 31.07.2023 के अपने हिस्सा व कब्जा काश्त वाली 464/1265 में से 1.518 हैक्टर भूमि अपने पोते करनदीप सिंह के हक में की जा चुकी है। जिसका नामान्तकरण अभी विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पारिवारिक रजामंदी से उक्त उपहार पत्र निष्पादित किया गया है। जिस पर प्रार्थीगण अपना हक व अधिकार रखते है अथवा नहीं इसका निर्धारण वाद में तनकी उपरान्त साक्ष्य पश्चात् अन्तिम निर्णय के समय ही किया जा सकता है।

प्रतिवादी संख्या 1 का पोता करनदीप सिंह जीवित था तब तक दावा पेश नहीं किया गया पोते की मृत्यु के पश्चात् उसकी वारिस उसकी माता है तब दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी स्वेच्छा से बंटवारा अपने पुत्र, पत्नी व अन्य बेटी में में की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 4 बीघा भूमि की गिफ्ट दुबारा की गई है। जिसके पश्चात् बेटीयों द्वारा अप्रार्थी सतविन्द्र कौर (माता) को जाने वाली भूमि को रोकने के लिए दावा पेश कर स्थगन प्राप्त किया गया है। प्रार्थीगण न्यायालय में क्लीन हैंड से नहीं आये हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 4 के मध्य दूरभिसंधि होना स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(विविध प्रकरण संख्या :– 45/2024
अनवान जसविन्द्र कौर बनाम बलदेव सिंह)

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 55/2024 बअनवान जसविन्द्र कौर बनाम बलदेव सिंह रहे।

आदेश आज दिनाक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner